राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2006 से 3/2016

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सुन्दरनगर के लेखाओं का अन्तिम अंकेक्षण विभाग द्वारा अवधि 04/2003 से 03/2006 तक के लिए किया गया था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में संस्थान द्वारा की गई अनुपालनात्मक कार्रवाई का अवलोकन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/1973 से 03/1976 तक

पैरा 1	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 द्वारा जारी अवधि 04/1984 से 03/1986 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहले ही निर्णीत किया जा चुका है।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1987 तक

पैरा 5(6) का क्रमांक 1, 2 व 3	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा, हि0 प्र0 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1988 तक

पैरा 5 (1)	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा, हि0 प्र0 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/1996 से 03/2001 तक

पैरा 6 (2)	अंशतः अनिर्णीत	––
पैरा 7	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही तथा प्रस्तुत औचित्य के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2006 तक

पैरा 3	समाप्त	वित्तीय स्थिति।
पैरा 4	समाप्त	निवेश विवरण।
पैरा 5	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क के भुगतान के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।
पैरा 6	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
पैरा 7	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।

पैरा 8	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही तथा प्रस्तुत औचित्य के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
पैरा 9	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही तथा अस्थाई अग्रिमों के समायोजन के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
पैरा 10	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
पैरा 11	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
पैरा 12	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
पैरा 13	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सुन्दरनगर जिला मण्डी, हि0प्र0 के अवधि 4/2006 से 3/2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 20.09.2016 से 15.11.2016 तक के दौरान संस्थान के कार्यालय में सुन्दरनगर में किया गया। अंकेक्षण हेतु आय की विस्तृत जांच के लिये माह 07/2006, 07/2007, 07/2008, 01/2010, 01/2011, 01/2012, 07/2012, 01/2014, 01/2015, व 01/2016 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिये माह 10/2006, 11/2007, 10/2008, 09/2009, 04/2010, 10/2011, 09/2012, 02/2014, 07/2014 व 06/2015 चयनित किये गए।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि में निम्न प्रकार से प्राचार्य तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहेः—

प्राचार्य तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी व उनका कार्यकाल अवधिः—

प्राचार्य	**अवधि**
इंजीनियर आर के शर्मा	01—04—2006 से 19—06—2008
डॉ• जोगेन्द्र सिंह	20—06—2008 से 16—03—2010
इंजीनियर ओंकार सिंह सेन	17—03—2010 से 18—05—2011
इंजीनियर विनिता आर्य	19—05—2011 से 14—01—2014
इंजीनियर आर के शर्मा	15—01—2014 से 31—03—2016

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था प्रमुख तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं अभिलेख पर आधारित है। संस्था द्वारा किसी भी गलत सूचना के प्रस्तुत करने, किसी सूचना के प्रस्तुत न करने अथवा अपूर्ण सूचना

प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर के अवधि 4/2006 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क स्थापना व्यय के आधार पर ₹29,000/— (₹ उनतीस हजार) आंका गया है। इस शुल्क राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को मल्टीसिटी चैक/रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए. डी/2015—16—217 दिनांक 15/11/2016 द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया। प्राचार्य द्वारा अंकेक्षणोपरान्त उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण शुल्क की राशि चैक संख्या 284814 दिनांक 17—11—2016 द्वारा पत्र संख्याः जी पी एस लेखा/2016—17—8118 दिनांक 18—11—2016 के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 (क) वित्तीय स्थितिः—

प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर द्वारा अवधि 04/2006 से 03/2016 के लिए **परिशिष्ट '1'** पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर अंकेक्षणावधि के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः—

वर्ष	अथशेष	आय	अर्जित ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2006—07	17562913	6508214	239574	24310701	3043002	21267699
2007—08	21267699	8214291	1651298	31133288	4847482	26285806
2008—09	26285806	9483782	1173272	36942860	4914364	32028496
2009—10	32028496	9771205	1261686	43061387	5233893	37827494
2010—11	37827494	11094471	3006793	51928758	5744983	46183775
2011—12	46183775	14849297	276662	61309734	9866745	51442989
2012—13	51442989	11816246	5539323	68798558	7894985	60903573
2013—14	60903573	8597193	0	69500766	5186776	64313990
2014—15	64313990	12247161	0	76561151	10603060	65958091
2015—16	65958091	10876590	0	76834681	8907393	67927288

वित्तीय स्थिति में रोकड़ बही की त्रुटियों के कारण दिनांक 31–03–2016 को किया गया समायोजनः–

क्र	विवरण		राशी (₹)
	रोकड़ बही में दर्ज आय व्यय के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेषः–		**67927288**
	घटावः–		
1	आहरित अस्थाई अग्रिमों की राशियों का दिनांक 31–03–2016 के ट्रायल बैलेंस में शामिल शेष जिसे रोकड़ बही में आहरण दिनांक में व्यय में दर्ज नहीं किया हैः–	854853	
2	जनवरी 2014 में लेखन सामग्री खरीद पर किया गया व्यय जो कि रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया हैः–	4334	
	कुल घटावः–		**859187**
	वित्तीय स्थिति का दिनांक 31–03–2016 का संशोधित अन्तशेषः–		**67068101**

टिप्पणियाँः–

1. वित्तीय स्थिति में लिया गया वर्ष 2006–07 का प्रारम्भिक शेष रोकड़ बही के अनुसार है जिसका सत्यापन गत अंकेक्षण में किया गया था।
2. उपरोक्त विवरणी रोकड़ बही में अवधि 04/2006 से 03/2016 तक दर्ज आय व्यय तथा ट्रायल बैलेंस में दर्ज आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है।
3. वर्ष 2012–13 के उपरान्त संस्थान द्वारा बैंक सावधि निवेशों पर प्राप्त ब्याज की आय का अथवा उनके पुर्ननिवेश का कोई लेखांकन नहीं किया गया है। जिस कारण से दिनांक 31–03–2016 को रोकड़ बही के ट्रायल बैलेंस में निवेशित राशी का शेष ₹5,77,33,880 दर्शाया गया है जबकि वास्तव में **परिशिष्ट '2'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार यह ₹7,39,37,935 है। इस कारण से संस्थान की वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ बही के अन्तशेष में ₹1,62,04,055 का अन्तर पाया गया है।
4. दिनांक 31–03–2016 को संस्थान के दो बचत बैंक खातों का पासबुक के अनुसार वास्तविक शेष ₹1,12,76,046 है जबकि रोकड़ बही के पृष्ठ 181 पर बनाए गए माह 03/2016 के ट्रायल बैलेंस में बचत खातों का अन्तशेष ₹93,11,875 दर्शाया गया है। इस कारण से संस्थान की वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ बही के अन्तशेष में ₹19,64,171 का अन्तर पाया गया है।

(ख) <u>बैंक समाधान विवरणी</u>ः– राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर की निधियों की दिनांक 31–03–2016 को बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः–

क्र	बचत खाते/निवेश का विवरण		31.03.2016 का शेष (₹)
1	सावधि निवेश का शेष **(परिशिष्ट '2')**		7,39,37935
2	स्टेट बैंक पटियाला बचत खाता संख्या 55076226057 शेष		1,10,72569
3	भरतीय स्टेट बैंक बचत खाता संख्या 011000752511 का शेष		2,03,477
4	हस्तगत शेष		22,346
(क)	**सावधि जमा व बचत खातों का दिनांक 31–03–2016 का कुल छात्र निधि शेष**		**8,52,36,327**
(ख	**रोकड़ बही आधारित वित्तीय स्थिति के अनुसार 31–03–2016 का गत उप–पैरा 4 (क) में दिया गया संशोधित अन्त शेष**		**6,70,68,101**
	बैंक में उपलब्ध निधि शेष तथा वित्तीय स्थिति के शेष में दिनांक 31–03–2016 को पाया गया अन्तर (क–ख):		**1,81,68,226**
	अन्तर के कारणः–		
1	वर्ष 2012–13 के उपरान्त रोकड़ बही में निवेश राशियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन न किए जाने के कारण रोकड़ बही में दर्ज तथा वास्तविक निवेश राशियों के अन्तशेष में पाया गया अन्तर	16204055	
2	दिनांक 31–03–2016 को बचत खातों के रोकड़ बही में दर्ज तथा वास्तविक अन्तशेष में पाया गया अन्तर	1964171	
	अन्तर का कुल योगः–		**18168226**

5 बैंक समाधान विवरणी न बनाए जाने के कारण रोकड़ बही के लेखांकन की त्रुटियों में पिछले कई वर्षों से लगातार वृद्धिः–

रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा प्रत्येक मासान्त में छात्र निधियों की रोकड़ बही के अन्तशेष का बैंकों में उपलब्ध सावधि जमा तथा बचत बैंक खातों के शेष के साथ बैंक समाधान विवरणी बनाते हुए मिलान नहीं किया गया है। यह लेखांकन के मूलभूत सिद्धांतों तथा प्रतिपादित वित्तीय नियमों की अवहेलना है। इसके स्थान पर आधे अधूरे आंकड़ों के साथ प्रत्येक मासान्त में एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जिसमें दर्शाई गई बैंक निवेश शेष तथा बचत खाता शेष तक की राशियां भी सही नहीं हैं। यह एक बहुत गम्भीर

त्रुटि है क्योंकि रोकड़ बही में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि का सत्यापन आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया गया है तथा इस त्रुटि से स्पष्ट है कि इन प्रविष्टियों को सत्यापित करते समय कभी भी इनका बैंक खातों के साथ मिलान नहीं किया गया है। इस प्रबन्धकीय चूक के कारण पिछले कई वर्षों से रोकड़ बही के लेखांकन में पाई गई त्रुटियों तथा बैंक खातों के साथ अन्तर में माह दर माह निरन्तर वृद्धि दर्ज की गई है। अतः इस गम्भीर त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार प्रतिमाह बैंक समाधान विवरणी बनाकर रोकड़ बही के शेष का बैंको में उपलब्ध शेष से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बही के शेष तथा आय–व्यय विवरणी में प्राप्त दिनांक 31–03–2016 के अन्तशेष में ₹0.23 लाख का अन्तरः–

संस्थान की छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निधियों की रोकड़ बही में दिनांक 31–03–2016 को दर्शाए गए तथा उसी दिनांक के लिए प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय विवरणी/वित्तीय स्थिति **(परिशिष्ट '1')** के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹22952 का अन्तर पाया गया हैः–

क्र	विवरण		राशी (₹)
(क)	**रोकड़ बही में दर्शाया गया 31–03–2016 का अन्तशेष**		**67950240**
	घटावः–		
1	08/2013 में आय जिसे अन्तशेष में शामिल नहीं किया गया	2420	
2	07/2014 का रोकड़ बही में दर्ज व्यय जो अन्तशेष से घटाया नहीं गया 1. पुस्तकालय प्रतिभूतीः 21500 2. पहचान पत्र निधिः 500 3. पुस्तकालय निधिः 3785 4. मेडीकल निधिः 1200 5. एन सी सी निधिः 1000 6. वार्षिकोत्सव निधिः 2000 7. गृह परीक्षा निधिः 3000 8. टयूशन निधिः 13500	46485	
3	रोकड़ बही में दर्शाए गए प्रवेश शुल्क के वर्ष 2015–16 के अन्तशेष में पाया गया अन्तर	20250	

(ख)	**कुल घटावः–**		**(–)69155**
	घटाई गई मदों के पश्चात शेषः–		**67881085**
	जमाः–		
1	06/2011 में छात्र कल्याण निधि के अन्तशेष से अधिक घटाई गई राशी	42203	
2	01/2014 में छात्र कल्याण निधि के अन्तशेष से अधिक घटाई गई राशी	4000	
(ग)	**कुल जमाः–**		**(+)46203**
	अन्तिम संशोधित दिनांक 31–03–2016 का अन्तशेष जो कि वास्तव में रोकड़ बही में दर्शाया जाना अपेक्षित है– {(क–ख)+ग}		**67927288**
	आय–व्यय विवरणी के अनुसार 31–03–2016 का अन्तशेष		**67927288**

7 निवेशः–

प्राचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर अवधि 04/2006 से 03/2016 के लिए **परिशिष्ट '2'** में प्रस्तुत सूचना के आधार पर संस्थान द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधी जमा में किए गए निवेश का विवरण निम्नानुसार हैः–

	बैंक	**दिनांक 31.03.2016 को निवेशित राशि का मूल्य (₹)**
1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सुन्दरनगर	6,31,27,118
2	हि0प्र0रा0स0 बैंक, सुन्दरनगर	9,52,802
3	ओरिऐन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सुन्दरनगर	17,93,669
4	पंजाब नेशनल बैंक, सुन्दरनगर	32,57,149
5	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, सुन्दरनगर	13,07,197
6	ऐच डी ऐफ सी बैंक, सुन्दरनगर	35,00,000
	निवेश की गई राशियों का कुल योगः	**7,39,37,935**

टिप्पणीः– उपरोक्त विवरण अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए बैंक सावधि जमा निवेश के वास्तविक प्रमाण पत्रों के आधार पर तैयार किया गया है, जबकि रोकड़ बही में दिनांक 31–03–2016 को मात्र ₹5,77,33,880 बैंक सावधि जमा में निवेशित दर्शाए गए हैं। कम दर्शाए गए ₹1,62,04,055 का अन्तर मुख्यतः पिछले तीन वर्षों से सावधि जमा में अर्जित ब्याज

का लेखांकन रोकड़ बही में न किया जाना है जो कि संकलित वित्तीय स्थिति से भी स्पष्ट हो जाता है।

8 निवेश तथा बचत खातों पर प्राप्त ब्याज की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करने बारेः–

संस्थान की छात्र निधियों की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि निवेश/पुर्ननिवेश की गई राशियों पर तथा बचत खातों में अर्जित ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही में वर्ष 2012–13 के पश्चात नहीं किया गया है। अर्जित ब्याज की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न किया जाना प्रतिपादित वित्तीय नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों तथा दिशा निर्देशों की अवहेलना है। इस गम्भीर प्रबन्धकीय चूक के कारण गत पैरा 4(ख) में वर्णित रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय पर आधारित दिनांक 31–03–2016 की वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों में उपलब्ध निधि शेष में **₹**1,81,68,226 का अन्तर पाया गया है। इस अन्तर का मुख्य कारण गत तीन वर्षों में अर्जित ब्याज का लेखांकन न किया जाना ही है। हालांकि अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–195 दिनांकः 29/09/2016 के द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान संस्थान द्वारा निवेश राशियों पर अर्जित ब्याज का विवरण प्रधानाचार्य से मांगा गया था जो कि अंकेक्षण की समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इस कारण से इस अन्तर तथा अर्जित ब्याज की पुष्टि नहीं की जा सकी है। अतः अब बैकों से वर्ष 2006–07 से लेकर 2015–16 तक संस्थान द्वारा निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज बारे सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करके उक्त विवरण तैयार किया जाए जिसकी आगामी अंकेक्षण के समय पुष्टि करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त इस चूक तथा प्रबन्धकीय लापरवाही के कारणों के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते समय पर अर्जित ब्याज का लेखांकन करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बैंक द्वारा सावधी निवेश खातों में ₹9.30 लाख का कम ब्याज दिए जाने बारेः–

प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर द्वारा **परिशिष्ट '3'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान परिपक्व हुई बैंक सावधी जमा निवेश राशियों पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा **₹**9,30,147 का कम ब्याज संस्थान को दिया गया है। इस कम जमा ब्याज की गणना अंकेक्षण के दौरान बताए जाने पर की गई है जो यह दर्शाता है कि संस्थान की छात्र निधियों से लगभग **₹**7.5 करोड़ की राशि का सावधी निवेश होने के बावजूद भी इनका वित्तीय प्रबन्धन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ब्याज की आय में इतनी बड़ी हानि का होना और उसके साथ संस्थान प्रबन्धन को उसकी जानकारी न होना

बहुत ही गम्भीर वित्तीय है। इस चूक के कारणों के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित बैंको से इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना तथा भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 छात्रावास भोजनालय प्रतिभूति तथा छात्रावास दण्ड शुल्क की ₹5.09 लाख को रोकड़ बही के लेखांकन से बाहर रखनाः–

संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से जो छात्र छात्रावास में रहते हैं उनके लिए सहकारी भोजनालय (Cooperative Mess) चलाया जाता है। इस भोजनालय हेतु छात्रों से प्रवेश के समय ₹2500/– की राशि प्रतिभूति के रूप में ली जाती है। वित्तीय नियमों तथा लेखांकन के मूल भूत सिद्धांतों के अनुसार इस राशि का लेखांकन संस्थान की छात्र निधियों की रोकड़ बही में करते हुए इसे प्रधानाचार्य/आहरण एवं वितरण अधिकारी के नियन्त्रण में रखा जाना चाहिए। परन्तु निधियों के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, इस प्रतिभूती की ₹5,00,242 तथा छात्रावास में होने वाले नुक्सान के लिए छात्रों से वसूल की जाने वाली दण्ड शुल्क की ₹9,242 की कुल ₹5,09,484 की राशि को प्रधानाचार्य के स्थान पर छात्रावास (बालक) के वार्डन के नियन्त्रण में रखा गया है जिसे किसी भी रोकड़ बही में लेखांकित करने के स्थान पर मात्र छात्रावास भोजनालय प्रतिभूति रजिस्टर में ही किया जाता है। इस प्रतिभूति का प्रधानाचार्य द्वारा **परिशिष्ट '4'** पर उपलब्ध करवाया गया विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	खाता संख्या	खाता प्रकार	निवेश दिनांक	मूल राशी	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशी	बैंक
1	523031	निवेश	20.10.15	135742	27.4.17	152578	एस बी पी
2	685944	निवेश	30.3.16	129217	30.03.17	139554	एस बी पी
3	523455	निवेश	20.10.15	104987	27.04.17	118009	एस बी पी
4	65135797236	बचत–प्रतिभूती	––	130296	––		एस बी पी
5	65162694681	बचत–दण्ड शुल्क	––	9242	––		एस बी पी
		कुल योगः–		**509484**			

इस प्रकार की प्रबन्धकीय चूक के बारे में उचित तथ्यों के साथ वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस राशि को अन्य छात्र निधियों की तरह ही संस्थान की रोकड़ में शामिल करते हुए नियमानुसार अभिलेख तैयार करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11 रोकड़ बही के लेखांकन में विसंगतियांः–

संस्थान के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निधियों की रोकड़ बही का लेखांकन अत्यंत त्रुटिपूर्ण तरीके से किया जा रहा हैः–

1. रोकड़ बही के पृष्ठ 180 पर दिनांक 31–03–2016 को अन्तशेष के भाग के रूप में ₹22114/– हस्तगत शेष दर्शाए गए हैं। परन्तु अगले ही पृष्ठ 181 पर ट्रायल बैलेंस बनाते समय हस्तगत राशि बढ़ाकर ₹22346 कर दी गई है।
2. रोकड़ बही में अन्त शेष नहीं निकाला जाता है, मात्र मासान्त में एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जिसमें दर्शाई जा रही निवेश इत्यादी की अधिकतर राशियों में पिछले लगभग तीन वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं आया है।
3. मासान्त में नियमानुसार किसी प्रकार की बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जाती है।
4. अस्थाई अग्रिमों के आहरण व समायोजन का लेखांकन त्रुटिपूर्ण है।
5. वर्ष 2012–13 के पश्चात निवेश तथा बचत खातों के अर्जित ब्याज का लेखांकन आय में नहीं किया गया है।
6. गत पैरा 4(ख) में वर्णित रोकड़ बही में दर्शाए जा रहे निवेश तथा बचत खातों के शेष तथा इनके वास्तविक शेष में ₹1,81,68,226 का स्पष्ट अन्तर होने के बावजूद भी प्रबन्धन द्वारा इसकी तरफ अथवा इसके निराकरण हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है।

उपरोक्त त्रुटियां छात्र निधियों के लेखांकन में अत्यंत लापरवाही तथा अति गम्भीर अनियमितता के अतिरिक्त प्रबन्धकीय नियन्त्रण के सम्पूर्ण अभाव को प्रदर्शित करता है। अतः इस बारे में उचित व तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार इन त्रुटियों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 बचत खाते में अत्याधिक राशि के रखे जाने के कारण संस्थान को कम ब्याज के रूप में हो रही हानिः–

दिनांक 31–03–2016 को संस्थान के दो बैंक बचत खातों में ₹1,12,76,046 की राशि शेष में पड़ी थी। यदि संस्थान की वित्तीय स्थिति का अवलोकन किया जाए तो हम देखते हैं कि संस्थान को एक वर्ष के दौरान औसतन लगभग ₹65 लाख की आवश्यकता छात्र निधियों से व्यय हेतु पड़ती है। अतः इतनी अधिक राशि को बचत खाते में रखा जाना जहां कम ब्याज हासिल होता है वित्तीय नियमों तथा कुशल वित्तीय प्रबन्धन के विरूद्ध है। इस कारण से संस्थान को निरन्तर कम ब्याज के रूप में हानि उठानी पड़ रही है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु संस्थान की सामयिक आवश्यकताओं के लिए

जरूरी धनराशि को छोड़ कर बचत खातों में उपलब्ध अतिरिक्त राशि को सावधी जमा में निवेशित करके ब्याज की अधिक आय प्राप्त करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 अनावश्यक रूप से अत्याधिक 33 सावधि निवेश खातों का संचालन करने बारेः—

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31—03—2016 को छात्र निधियों से बैंकों में **परिशिष्ट '2'** में दिए गए सावधि निवेश के 33 खातों का संचालन किया जा रहा था जिनमें न्यूनतम ₹1,41,362 से लेकर अधिकतम ₹1,07,04,402 की राशियां निवेशित हैं। इन 33 खातों में से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में ही 26 खाते चलाए जा रहे हैं। इन 33 में से अधिकतर खातों को गत कई वर्षों से मात्र एक—एक वर्ष की अवधि के लिए पुर्ननिवेशित ही किया जा रहा है। इतने अधिक खातों के संचालन का औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा वित्तीय प्रबन्धन की कमी को दर्शाता है। इन अत्याधिक निवेश खातों के संचालन में न केवल बहुमूल्य मानव श्रम की बर्बादी होती है बल्कि लेखांकन में मानवीय चूक की सम्भावना भी बनी रहती है। अतः भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि छोटी निवेश राशियों को समेकित (Consolidate) करते हुए आवश्यकता अनुसार बड़ी राशियों में पुर्ननिवेशित करके बेहतर वित्तीय प्रबन्धन हेतु इन खातों की संख्या को यथासंभव घटाने का प्रयत्न किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 निवेश रजिस्टर का रख—रखाव न किए जाने बारेः—

संस्थान द्वारा किसी प्रकार के निवेश रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है। दिनांक 31—03—2016 संस्थान के पास ₹8.5 करोड़ से अधिक की धनराशि छात्र निधियों में सावधि जमा निवेश तथा बचत खातों में उपलब्ध थी। इतनी बड़ी राशियों पर नियन्त्रण के लिए कुशल वित्तीय प्रबन्धन अति आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की चूक अथवा गड़बड़ी की आशंका को समाप्त किया जा सके। इन निधियों के बेहतर तथा सर्वोत्तम प्रबन्धकीय नियन्त्रण में निवेश रजिस्टर एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख है। परन्तु संस्थान में इस रजिस्टर का रख—रखाव न किया जाना प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के गम्भीर अभाव को दर्शाता है। इस रजिस्टर का न होना भी एक बहुत बड़ा कारक है कि गत पैरा 4(ख) में वर्णित ₹1,81,68,226 का अन्तर रोकड़ बही में दर्शाए गए तथा वास्तविक निवेशों तथा बचत खातों के अन्तशेष के बीच पाया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अभिलेख के अभाव में निवेशित राशी की परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज, प्राप्त की गई परिपक्वता राशि, सही समय पर पुर्ननिवेश तथा इसके लेखांकन की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिस बारे उचित व तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त

प्राथमिकता के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 अनावश्यक रूप से आय–व्यय का लेखांकन पैंतीस अलग अलग शीर्षकों के अन्तर्गत करनाः–

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में इन निधियों का लेखांकन 35 विभिन्न शीर्षकों, जो कि आय व्यय विवरणी में दर्शाए गए हैं, के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 की प्रवेश विवरणिका में छात्रों से वसूल किए जाने वाली निधियों के लिए मात्र 12 तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों से 6 अतिरक्त कुल 18 शीर्षकों में ही करने का प्रावधान किया गया है। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अनावश्यक शीर्षक या तो विभाग द्वारा वर्षों पहले बन्द कर दिए गए हैं अथवा उन्हें पुर्ननामित किया जा चुका है। उदाहरण हेतु घास, कैन्टीन तथा बुक बैंक प्रतिभूतियों को वर्षों पहले बन्द किया जा चुका है क्योंकि अंकेक्षणावधि के दस वर्षों में इनमें एक भी लेन–देन नहीं हुआ है। इसी प्रकार कॉलेज प्रतिभूती को संस्थान प्रतिभूती तथा भवन निधि को संस्थान विकास निधि में पुर्ननामित किया जा चुका है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रोकड़ बही में आवश्यक सुधार किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

16 रोकड़ बही का रखरखाव अनावश्यक रूप से कॉलम बना कर करनाः–

संस्थान द्वारा रोकड़ बही में लेखांकन हेतु विभिन्न शीर्षकों के लिए अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं जिनमें आय और व्यय की प्रविष्टियां तदानुसार की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्याः ई डी एन (टी ई) ए(7)(1/7) दिनांक 28.01.1980 तथा ई डी एन (टी ई) ए(3) 2/2004 दिनांक 23.04.2012 के अनुसार राज्य के बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली समस्त निधियों को समेकित रूप से **'छात्र कल्याण निधि'** नामित किया गया है तथा तदानुसार ही इस समेकित निधि से छात्र हित में विभिन्न मदों पर व्यय हेतु समेकित नियम व शक्तियां प्रावधित की गई हैं न कि अलग अलग मदों के व्यय हेतु अलग अलग नियम दिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यय का लेखांकन अलग अलग शीर्षकों/मदों के अन्तर्गत कॉलम बनाकर किए जाने की कोई आवयकता नहीं है तथा यह कार्यप्रणाली बहुमूल्य मानवश्रम को व्यर्थ करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रोकड़ बही में आवश्यक सुधार किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

17 ट्रायल बैलेंस में लेनदारियों के रूप में दर्शाई गई ₹0.27 लाख की प्रतिभूतियों के अभिलेख का उपलब्ध न होनाः—

रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि प्रतिमाह बनाए गए ट्रायल बैलेंस में निम्न विवरणानुसार ₹27,285 की तीन प्रतिभूतियों की राशी को लेनदारी के रूप में दर्शाया गया है। परन्तु यह प्रतिभूतियां कब, किसके पास तथा किन शर्तों के साथ जमा करवाई गई हैं से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है। अतः इस अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र•	विवरण	राशी (₹)
1	बिजली की प्रतिभूती	7985
2	रेलवे प्रतिभूती	15300
3	सिलिन्डर प्रतिभूती	4000
	कुल योग	**27285**

18 ₹1500 की टयूशन शुल्क की आय का लेखांकन न करने बारेः—

दिनांक 19—01—2010 को दूसरे सेमेस्टर के छात्र विक्रान्त ठाकुर, आई0आर0संख्या 165/09 ने रसीद संख्या 049/852 द्वारा ₹6800 छात्र निधियों एवं शुल्क के रूप में संस्थान में जमा करवाई थी। मगर डेली कलैक्शन रजिस्टर में उस दिन का लेखा तैयार करते समय मात्र ₹5300 ही लेखांकित किए गए हैं तथा टयूशन शुल्क की ₹1500 को लेखे में शामिल नहीं करके इस राशि का सम्भावित गवन किया गया है। अतः अब इस प्रकरण की विस्तृत पड़ताल करके इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 छात्र प्रतिभूतियों से सम्बन्धित अभिलेख को तैयार न करनाः—

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर द्वारा प्रतिवर्ष छात्रों से लाखों रुपये की राशि छात्र प्रतिभूतीयों के रूप में वसूल की जाती है तथा लाखों ही रुपये की राशि को संस्थान छोड़ने वाले छात्रों को लौटाया जाता है। संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाए गए आय व्यय के आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31—03—2016 को निम्नविवरणानुसार ₹19,60,095 इन प्रतिभूतियों के शेष में देनदारी के रूप में अदत पड़ी है।

क्र0	प्रतिभूति का नाम	31—03—2016 का शेष (₹)
1	घास की प्रतिभूति	450
2	कैन्टीन प्रतिभूति	1250

3	संस्थान प्रतिभूति	741604
4	पुस्तकालय प्रतिभूति	913147
5	छात्रावास प्रतिभूति	296794
6	बुक बैंक प्रतिभूति	6850
	कुल योग	**1960095**

परन्तु इतनी बड़ी प्रतिबद्ध देनदारी होने के बावजूद भी संस्थान में इसका विस्तृत विवरण जैसे किस शैक्षणिक सत्र के कितने छात्रों की देनदारी है आदि बताने वाला कोई अभिलेख/रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। वित्तीय नियमों तथा लेखांकन के प्रतिस्थापित मूलभूत नियमों के अनुसार संस्थान को प्रतिभूती रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें छात्र द्वारा प्रवेश के समय उसके पूर्ण विवरण के साथ उसके द्वारा जमा करवाई गई समस्त प्रतिभूतियों का लेखा रखा जाना अपेक्षित है तथा उस छात्र द्वारा संस्थान छोड़ने के बाद दावा करने पर प्रतिभूति की वापिसी का लेखांकन भी जमा प्रविष्टि के साथ किया जाएगा। परन्तु राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर द्वारा जो प्रतिभूति रजिस्टर बनाया गया है उसमें मात्र वापिस की गई प्रतिभूतियों के भुगतान का ही लेखांकन किया गया है। इस अधूरे अभिलेख के कारण अंकेक्षण के दौरान भुगतान की गई प्रतिभूतियों की सत्यतता की पुष्टि नहीं की जा सकी है। इसके अतिरिक्त इस अधूरे अभिलेख के कारण दोहरे भुगतान की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण संस्थान द्वारा न किए जाने बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उपरोक्त देनदारियों का विवरण निम्न तालिका में दिए गए सम्भावित प्रारूप में तैयार करके भविष्य हेतु इसका निरन्तर अद्ययतन सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

छात्र प्रतिभूतियों के लेखांकन हेतु सुझाया गया प्रतिभूती रजिस्टर का सम्भावित प्रारूपः–

जमा प्रतिभूतियों का विवरण												प्रतिभूती वापिसी का विवरण			
क्र0 सं0	शैक्षणिक सत्र वर्ष	छात्र का नाम	अनुक्रमांक	ट्रेड	जमा दिनांक	जमा रसीद संख्या	संस्थान प्रतिभूती	पुस्तकालय प्रतिभूती	छात्रावास प्रतिभूती	छात्रावास भोजनालय	कुल जमा योग	वापिसी दिनांक	वाउचर संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ	भुगतान राशी

20 छात्र प्रतिभूतियों को नियमानुसार जब्त न करनाः—

संस्थान में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश विवरणिका में छात्र शुल्कों एवं निधियों के विवरण के नीचे दिए प्रावधानों में छात्र प्रतिभूतियों के सन्दर्भ में लिखा गया है कि यदि छात्र संस्थान छोड़ने के पश्चात एक वर्ष तक प्रतिभूति वापिस किए जाने हेतु आवेदन नहीं करता है तो उसकी प्रतिभूति को जब्त करके 'छात्र कल्याण निधि' का भाग बना लिया जाएगा। सन्दर्भ हेतु शैक्षणिक सत्र 2014—15 के नियम 14.8 को उद्धृत किया जा सकता है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान देखा गया कि अंकेक्षणावधि के दस वर्षों के दौरान एक भी छात्र की कालातीत प्रतिभूति को जब्त नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए गत पैरा में दी गई तालिका के क्रमांक 1, 2 व 6 पर दर्शाई गई प्रतिभूतियां वर्षों पहले विभाग द्वारा बन्द कर दी गई हैं तथा अंकेक्षणावधि के दस वर्षों के दौरान इनमें एक भी लेनदेन नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी इनके शेष में अदत ₹8550 को जब्त नहीं किया गया है। अतः नियमानुसार संस्थान द्वारा कालातीत प्रतिभूतियों को जब्त न किए जाने बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर कालातीत प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण तैयार करके नियमानुसार इनको जब्त करना सुनिश्चित करते हुए सम्पूर्ण विवरण सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 छात्रावास भोजनालय की कालातीत छात्र प्रतिभूतियों की ₹0.19 लाख को नियमानुसार जब्त न करने बारेः—

प्रतिवर्ष प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा जमा करवाई जाने वाली प्रतिभूतियों में से एक प्रतिभूती छात्रावास में रहने वाले छात्रों से ली जाने वाली भोजनालय प्रतिभूती है। इस प्रतिभूती का लेखा संस्थान के रोकड़िए द्वारा रखने तथा संस्थान निधियों का भाग बनाने के स्थान पर छात्रावास वार्डन द्वारा अलग से अपने ही स्तर पर रखा गया है। वर्ष 2012—2015 के बैच के छात्रों द्वारा संस्थान को छोड़े हुए एक वर्ष से अधिक बीत चुका है। अतः गत पैरा में वर्णित प्रावधान के अनुसार छात्रावास भोजनालय प्रतिभूतियों में से भी इस बैच तक के छात्रों की अदत प्रतिभूतियों को निर्धारित एक वर्ष के बाद जब्त किया जाना अपेक्षित था। प्रधानाचार्य द्वारा **परिशिष्ट '5'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31—03—2016 तक छात्रावास भोजनालय की 2012—2015 तक के बैच की प्रतिभूतियों की ₹19473 जब्त किए जाने योग्य थी जिसे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जब्त नहीं किया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

22 छात्रावास भोजनालय प्रतिभूती के बैंक खातों में ₹2.09 लाख का आधिक्यः–

छात्रावास भोजनालय के बैंक खातों तथा प्रतिभूती रजिस्टर की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इसमें निम्न विवरणानुसार ₹2,08,554 का आधिक्य हैः–

विवरण	राशी (₹)
(क) प्रतिभूती के निवेश तथा बैंक बचत खाते में उपलब्ध शेष–**परिशिष्ट '4'**	500242
घटावः– **(ख)** वर्ष 2012–15 तक के बैच के छात्रों की जब्त किए जाने योग्य अदत राशी– **परिशिष्ट '5'**	19473
घटावः– **(ग)** वर्ष 2013–16 से 2016–19 के बैच के छात्रों की देय प्रतिभूतियों के दायित्व की राशी– **परिशिष्ट '5'**	272215
आधिक्यः– **(क) – (ख+ग)**	**208554**

इस आधिक्य की संस्थान द्वारा अपने स्तर पर जांच करके इस ₹2,08,554 को यथानुसार लेखांकित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 सरकारी शुल्क की ₹57.08 लाख को सरकारी कोषागार में जमा न करवाए जाने बारेः–

प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षणावधि की आय व्यय विवरणी तथा रोकड़ बही के दिनांक 31–03–2016 के ट्रायल बैलेंस के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31–03–2016 को निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹57,07,970 के शुल्क जो कि नियमानुसार वसूली के तुरन्त बाद प्राथमिकता के आधार पर सरकारी कोष में राजस्व के रूप में जमा करवाए जाने अपेक्षित थे को जमा नहीं करवाया गया है। अतः इस गम्भीर अनियमितता तथा लापरवाही की तुरन्त विभागीय जांच करके इन दिनांक 31–03–2016 को दर्शाई गई अन्तशेष की राशियों की पुष्टि की जाए तथा वास्तविक देय राशि को प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित बैंक खाते से निकालकर कोषागार में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

क्र॰	**सरकारी शुल्क**		**31.03.16 का ष्शेष**
1	पंजीकरण शुल्क	Registration Fee	90450
2	प्रवेश शुल्क	Admission Fee	272020
3	शैक्षणिक शुल्क	Tuition Fee	5345500
			5707970

24 वार्षिक परीक्षा शुल्क को वसूली के उपरान्त भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड को जमा न करवानाः–

गत पैरा में वर्णित शुल्कों की तरह ही छात्रों से वसूली किए जाने के उपरान्त भी वार्षिक परीक्षा शुल्क की सम्पूर्ण राशि को तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पास जमा नहीं करवाया गया है क्योंकि अंकेक्षणावधि की आय व्यय विवरणी तथा रोकड़ बही के दिनांक 31–03–2016 के ट्रायल बैलेंस के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31–03–2016 को ₹9,685 इस मद के अन्तशेष में दर्शाई गई है। इस बारे में नियमानुसार उचित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

25 छात्र बीमा योजना के प्रीमियम की वसूली के उपरान्त भी बीमा न करवानाः–

प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षणावधि की आय व्यय विवरणी तथा रोकड़ बही के दिनांक 31–03–2016 के ट्रायल बैलेंस के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31–03–2016 को ₹2,23,600 छात्र बीमा योजना के प्रीमियम की मद में अन्तशेष में दर्शाई गई है जो कि यह स्पष्ट करता है कि छात्रों से प्रीमियम की वसूली करने के उपरान्त भी सरकार द्वारा जारी नियमों की अवहेलना करते हुए उनका बीमा नहीं करवाया गया है। इससे भी गम्भीर तथ्य यह है कि वर्ष 2013–14 में सरकार द्वारा इस छात्रों से प्रीमियम राशि वसूल करके उनका दुर्घटना बीमा करवाए जाने की योजना को लागू किए जाने के पश्चात संस्थान द्वारा यह वसूली तो लगातार की जा रही है परन्तु कभी भी यह बीमा नहीं करवाया गया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु वर्ष 2013–14 से लेकर 2015–16 तक के इस मद में आय व्यय के आंकड़े निम्न तालिका में दिए जा रहे हैं:–

वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तशेष
2013–14	0	77100	2300	74800
2014–15	74800	68200	1000	142000
2015–16	142000	82600	1000	223600
		227900	**4300**	

यह एक अति गम्भीर प्रकरण है तथा इसकी विस्तृत जाच करके यदि वास्तव में ही इस प्रकार की लापरवाही की गई है तो अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए अथवा प्रीमियम का भुगतान किसी अन्य मद से किए जाने के तथ्य प्रस्तुत करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 प्रतिपूर्ती के आधार पर किए गए ₹7000 के व्यय की वसूली न करनाः–

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर की छात्र निधियों की रोकड़ बही की चयनित माह के लिए नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा समय समय पर

छात्र निधियों से ₹7000 का व्यय किया गया है जो कि नियमानुसार इन निधियों पर उचित प्रभार नहीं था। परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत अस्थाई प्रावधान के रूप में, बाद में उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ती के आधार पर, इस व्यय को छात्र निधियों से स्वीकृत किया गया था। लेकिन एक लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी अंकेक्षण के समय तक इस व्यय की प्रतिपूर्ती नहीं की गई है। जो कि एक गम्भीर चूक है। ऐसे कुछ प्रकरण जो कि नमूना अंकेक्षण जांच में सामने आए हैं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। यह विवरण मात्र नमूना जांच से सम्बन्धित है अतः इसके अतिरिक्त भी किए गए इस प्रकार के व्यय का विस्तृत विवरण संस्थान द्वारा अपने स्तर पर तैयार करके उसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	व्यय दिनांक	रो0ब0 पृष्ठ	जिससे आपूर्ती की जानी थी	व्यय का उद्देश्य	राशी (₹)
1	7.7.2014	141	कम्यूनिटि कॉलेज योजना	श्री जोगिन्दर सिंह चालक को वाहन एच पी–31–3629 के ईंधन के लिए अस्थाई अग्रिम	4000
2	30.7.2014	149	कम्यूनिटि कॉलेज योजना	किसी आधिकारिक बैठक में भोजन व्यवस्था हेतु श्री के के साहनी को अस्थाई अग्रिम	3000
				कुल योगः–	**7000**

27 दिनांक 31–03–2016 को ₹8.55 लाख के असमायोजित अग्रिमों का शेषः–

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर की छात्र निधियों की रोकड़ बही की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि दिनांक 31–03–2016 को रोकड़ बही पृष्ठ 181 पर बनए गए ट्रायल बैलेंस के अनुसार असमायोजित अग्रिमों की ₹8,54,853 समायोजन हेतु शेष थी जिसके सन्दर्भ में प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सन्दर्भ हेतु **परिशिष्ट '6'** पर संलग्न है। इस राशि का अलग अलग आहरित अस्थाई अग्रिमों के आधार पर किसी भी प्रकार का विस्तृत विवरण संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त माह फरवरी 2013 के पश्चात रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों के अनुसार एक भी अस्थाई अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया है। इतने लम्बे समय तक एक भी अस्थाई अग्रिम का समायोजन न किया जाना तथा इनका अभिलेख न रखा जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा प्रबन्धकीय नियन्त्रण के सम्पूर्ण अभाव को दर्शाती है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर इन अस्थाई अग्रिमों का नियमानुसार समायोजन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

28 अस्थाई अग्रिमों के रजिस्टर का रख–रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की नमूना जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा प्रतिमाह निरन्तर एक बड़ी राशी का आहरण संस्थान की गाड़ियों के ईंधन व रख रखाव व्यय तथा संस्थान द्वारा किए जाने वाले अन्य व्यय हेतु अस्थाई अग्रिमों के रूप में किया गया है। परन्तु इन अग्रिमों के समायोजन अथवा प्रतिपूर्ती पर प्रबन्धकीय नज़र रखने हेतु किसी प्रकार का संकलित ब्यौरा/रजिस्टर संस्थान द्वारा अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है। माह फरवरी 2013 तक मासान्त में बनाए जाने वाले ट्रायल बैलेंस के साथ असमायोजित अग्रिमों के विवरण में आहरणकर्ता तथा आहरित राशी का विवरण भी दिया जाता था। तदोपरान्त यह प्रक्रिया भी बन्द कर दी गई है। जिसका परिणाम नमूना अंकेक्षण जांच में यह सामने आया है कि रोकड़ बही में माह 03/2013 के पश्चात के तीन वर्षों में अग्रिमों का मात्र आहरण किया गया है तथा आहरित अग्रिम की एक भी राशी का समायोजन नहीं किया गया है। इस कारण से दिनांक 31–03–2016 को रोकड़ बही के पृष्ठ 181 पर बनाए गए ट्रायल बैलेंस में असमायोजित अग्रिमों की राशी ₹8,54,853 तक पहुँच चुकी है। इस प्रकार के संकलित अभिलेख का संस्थान द्वारा रख–रखाव न करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य हेतु निम्न प्रारूप में नियमानुसार अभिलेख को तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

अस्थाई अग्रिमों के लेखांकन हेतु सुझाया गया अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का सम्भावित प्रारूपः–

अस्थाई अग्रिम आहरण का विवरण								अस्थाई अग्रिम समायोजन का विवरण			
क्र0सं	दिनांक	वाउचर	रोकड वही पृष्ठ	आहरण कर्ता	व्यय उद्देश्य	राशी	आहरण व वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	दिनांक	वाउचर	रोकड़ बही पृष्ठ	आहरण व वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

29 अस्थाई अग्रिमों के आहरण तथा समायोजन का अनियमित तरीके से लेखांकन करनाः–

हि॰ प्र॰ वित्तीय नियम 2009 के नियम 189(3) में प्रावधित नियमानुसार आहरित अग्रिम के लेखांकन के लिए किसी भी संस्थान द्वारा क्रमानुसार निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिएः–

I. व्यय हेतु अस्थाई अग्रिम का आहरण अति आवश्यकता की स्थिति अथवा आपूर्तीकर्ता की अग्रिम भुगतान की विशेष शर्त की परिस्थिति में ही किया जाएगा।

II. अस्थाई अग्रिम की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात आहरण करके रोकड़ बही में इस राशी को उसी दिनांक में व्यय में दर्ज किया जाएगा।

III. अस्थाई अग्रिम राशि के सन्दर्भ में व्यय/उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात आहरणकर्ता द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर व्यय का लेखा–जोखा विभाग को प्रस्तुत कर देना चाहिए।

IV. तत्पश्चात सम्बन्धित विभागीय कर्मचारी उस अग्रिम हेतु समायोजन वाउचर तैयार करके तदानुसार रोकड़ बही में उसका इन्द्राज़ करेगा। यदि वास्तविक व्यय आहरित अग्रिम राशि से अधिक है तो बकाया का भुगतान और यदि वास्तविक व्यय कम है तो बची राशि को आय में शामिल करके तदानुसार रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना अपेक्षित है।

V. यह प्रक्रिया प्रत्येक अग्रिम आहरित राशि के लिए अलग–अलग अपनाई जाएगी।

परन्तु राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर की रोकड़ बही की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि छात्र निधियों से जारी अस्थाई अग्रिमों का लेखांकन रोकड़ बही में उपरोक्त नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इसके स्थान पर संस्थान द्वारा अस्थाई अग्रिमों के लेखांकन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा रही हैः–

I. अस्थाई अग्रिम के आहरण के समय रोकड़ बही के व्यय में आहरित राशी को दर्ज नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर इस राशी को मासान्त में तैयार किए गए ट्रायल बैलेंस में लेनदारी के रूप में दर्याया जाता है।

II. व्यय उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात आहरणकर्ता द्वारा जब व्यय का लेखाजोखा प्रस्तुत किया जाता है तो आश्चर्यजनक तरीके से उसके बदले में रोकड़िए द्वारा आहरित राशी के समान राशी की छपी हुई वह रसीद जारी की जाती है जो कि संस्थान द्वारा छात्रों को शुल्क व निधियां जमा करवाने पर जारी की जाती है। और इस राशी को पुनः रोकड़ बही में आय में शामिल करके दर्ज किया जाता है।

III. तत्पश्चात अग्रिम से किए गए व्यय को रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है।

यह अनियमित तथा नियमाविरूद्ध कार्य प्रणाली किस नियम के अन्तर्गत अथवा किसके आदेश/सुझाव से अपनाई गई है के बारें में अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

30 अस्थाई अग्रिमों का असीमित आहरणः–

हि• प्र• वित्तीय नियम 2009 में प्रावधित नियमों के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह सुनिश्चित करने का दायित्व है किसी भी सरकारी कर्मचारी के नाम से तब तक व्यय हेतू दूसरा अस्थाई अग्रिम आहरित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके द्वारा

पहले से आहरित अग्रिम राशी के व्यय का समायोजन लेखाजोखा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है। परन्तु राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया है कि संस्थान द्वारा इस नियम की सम्पूर्ण अवहेलना की जा रही है तथा एक ही समय में एक कर्मचारी विशेषतः वाहन चालकों के नाम से कई–कई अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु शेष होने के पश्चात भी उनके नाम से नए अग्रिम आहरित किए गए हैं। अतः सन्दर्भित नियमों की अवहेलना के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

31 फुटकर व्यय हेतु भी अग्रिमों का आहरण किया जानाः–

हि• प्र• वित्तीय नियम 2009 में प्रावधित नियमों के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि व्यय हेतु अस्थाई अग्रिम का आहरण अति आवश्यकता की स्थिति में तुरन्त किए जाने वाले व्यय अथवा टैंडर/निविदा आधारित या सरकारी विभाग से की जाने वाली खरीद की स्थिति में आपूर्तीकर्ता की अग्रिम भुगतान की विशेष शर्त की परिस्थिति में ही किया जाएगा। परन्तु राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया है कि संस्थान द्वारा इस नियम की सम्पूर्ण अवहेलना की जा रही है तथा अस्थाई अग्रिमों का आहरण छोटे–छोटे तीन सौ से पांच सौ रूपये तक के सामान्य व्यय जैसे छात्रों द्वारा रंगोली प्रतियोगिता हेतु सामग्री अथवा स्थानीय बाजार से लेखन सामग्री की खरीद आदि के लिए भी अग्रिमों का आहरण किया गया है। अतः सन्दर्भित नियमों की अवहेलना के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त निधियों से किए जाने वाले व्यय पर नियन्त्रण हेतु अंकेक्षण द्वारा निम्नलिखित सुझाव भी दिए जा रहे हैं जिन पर की गई कार्यवाही की अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में निधियों से किया जाने वाला व्यय भी उसी प्रकार से नियन्त्रित किया जाए जैसे कि संस्थान को सरकारी बजट में प्राप्त होने वाले व्यय को नियन्त्रित किया जाता है तथा नियम विरूद्ध तरीके से फुटकर व्यय हेतु अस्थाई अग्रिमों का आहरण तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाए।

(ख) इसी प्रकार वाहन ईंधन व रखरखाव हेतु भी अस्थाई अग्रिमों का आहरण उसी परिस्थिति में किया जाए जब वाहन एक से ज्यादा दिनों के लिए मुख्यालय से बाहर जा रहा हो अन्यथा स्थानीय यात्राओं के लिए अन्य सरकारी विभागों की तरह ही मासिक भुगतान के आधार पर ईंधन का प्रबन्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32 छात्र निधियों से पीरीयड आधार पर रखे गए अध्यापकों से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करने बारेः–

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2004 से संस्थान द्वारा बहुत से अध्यापक प्रति पीरीयड भुगतान के आधार पर रखे गए थे जिनको भुगतान छात्र निधियों से किया गया है। इन अध्यापकों को छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रखे जाने की अनुमति निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः एस टी वी(टी ई)एच–बी(2)8/95– आर ई क्यू–20807 दिनांक 04–09–2004 द्वारा संस्थान को प्रदान की गई थी। इस पत्र की शर्त संख्या 5 के अनुसार संस्थान की यह जिम्मेवारी निर्धारित की गई थी कि इस प्रकार से रखे गए समस्त अध्यापकों के सन्दर्भ में तथा उन्हें भुगतान की गई समस्त राशियों का लेखा उसी पद्धति पर रखा जाएगा जिस प्रकार से अन्य स्थाई कर्मचारियों के सन्दर्भ में रखा जाता है। अतः स्पष्ट है कि इन प्रति पीरीयड भुगतान आधारित अध्यापकों के सन्दर्भ में भी व्यक्तिगत नस्ति, हाजरी रजिस्टर, वेतन/पारिश्रमिक भुगतान रजिस्टर इत्यादि का अनुरक्षण संस्थान द्वारा किया जाना अति आवश्यक था। परन्तु राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर द्वारा न केवल उपरोक्त पत्र के निर्देशों बल्कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 तथा लेखांकन के मूलभूत सिद्धांतों की भी अवहेलना करते हुए इस प्रकार के किसी भी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इन अध्यापकों को अंकेक्षणावधि के दौरान किए गए कुल भुगतान का पूर्ण विवरण अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2015–16/–195 दिनांकः 29/09/2016 द्वारा मांगा गया था जो कि अंकेक्षण की समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इस कारण से इस भुगतान की विस्तृत जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी है। अतः उपरोक्त अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त अब इस अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

33 जवाहर लाल नेहरू राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सुन्दरनगर के लिए किए गए ₹0.72 लाख के अनियमित व्यय बारेः–

छात्र निधियों की रोकड़ बही में दर्ज व्यय की चयनित माह हेतु नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2006 के माह सितम्बर व अक्तूबर में ₹71,916 का व्यय निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार जवाहर लाल नेहरू राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सुन्दरनगर के उद्घाटन तथा शिलान्यास हेतु किया गया है। इस व्यय की व्यय स्वीकृति निदेशक तकनीकी शिक्षा से उनके कार्यालय पत्र क्रमांकः एस टी वी(टी ई)एच एफ(4)4/06–28094 दिनांक

03–10–2006 द्वारा ली गई है। अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सुन्दरनगर एक स्वतन्त्र सरकारी संस्थान है और इसके क्रिया कलापों से सम्बन्धित व्यय का राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर के छात्रों तथा उनके शिक्षण सम्बन्धी क्रिया कलाप से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न होने के कारण इन छात्र निधियों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस अनुचित व्यय की प्राथमिकता के आधार पर उचित स्त्रोत/अभियान्त्रिकी महाविद्यालय से प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	दिनांक	वाउचर	व्यय विवरण	व्यय राशी
1	15.09.2006	314	फूल मालाएं तथा गुलदस्ते	7500
2	10.10.2006	374	टैंट का किराया	11905
3	10.10.2006	375	दोपहर का प्रीतीभोज	48131
4	10.10.2006	376	फोटाग्राफी तथा वीडियाग्राफी	4380
			कुल योगः–	**71916**

34 बिना बिलों के किया गया ₹0.33 लाख का संदिग्ध व्ययः–

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर के अंकेक्षण हेतु चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹32,952 के व्यय के विरूद्ध किसी भी प्रकार के वाउचर, विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के आपूर्ती बिल अथवा भुगतान प्राप्तकर्ता का आवेदन/रसीद इत्यादि उपलब्ध नहीं थे। नमूना अंकेक्षण जांच में पाए गए कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न तालिका में में दिया गया है। किसी भी प्रकार के बिल/वाउचर/रसीद के अभाव में यह व्यय सर्वथा संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की संस्थान द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा किसी थी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर भुगतान की गई राशी की वसूली दोषी कर्मचारी से करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर	विवरण	राशि (₹)
1	17.10.11	174	524	श्री एच एस राणा, एन सी सी अधिकारी को चैक संख्या 053950 दिनांक 17.10.11 द्वारा उनके प्रार्थना पत्र पर एन सी सी कैडेटस को जलपान का भुगतान करना दर्शाया गया है परन्तु किसी भी आपूर्तीकर्ता के बिल संलग्न नहीं किए गए हैं	4752
2	19.12.14	075	––	विक्रान्त ठाकुर को छात्र प्रतिभूती का भुगतान (1000+1500)	2500
3	20.12.14	076	––	श्रीमति सोनाली मल्होत्रा को अस्थाई अग्रिम का	1000

				भुगतान परन्तु किसी भी प्रकार का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आवेदन जिससें अग्रिम का उद्देश्य स्पष्ट हो वाउचर नस्ति संलग्न नहीं है	
4	7.7.14	141	——	सार्थक, छात्र को जमा करवाए शुल्कों की वापिसी किसी भी प्रकार का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं	3400
5	9.7.14	142	——	मेघना, छात्रा को जमा करवाए शुल्कों की वापिसी किसी भी प्रकार का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं	2400
6	9.7.14	142	——	दो छात्रों को जमा करवाए शुल्कों की वापिसी जिनके नाम नहीं दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं	6800
7	30.7.14	149	——	तीन छात्रों को जमा करवाए शुल्कों की वापिसी जिनके नाम नहीं दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं	8700
8	31.7.14	149	——	जतिन शर्मा, छात्र को जमा करवाए शुल्कों की वापिसी किसी भी प्रकार का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं	3400
				कुल योगः	**32952**

35 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.37 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के प्रावधानानुसार सरकारी धन से ₹3000 से अधिक मूल्य के स्टाक/स्टोर का क्रय करते समय खरीदी जाने वाली सामग्री को न्यूनतम बाजार मूल्य पर खरीदा जाना सुनिश्चित करने हेतु निविदाएं आमन्त्रित किया जाना अनिवार्य है। परन्तु राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर में छात्र निधि के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹2,37,200 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को एकल निविदा आधारित खरीद के रूप में सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से

नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर	विवरण	राशि (रु)
1	27.10.11	177	552	बाबा प्रिन्टर्ज़ सुन्दरनगर से उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद	4500
2	27.10.11	177	553	—यथोपरि—	4500
3	27.10.11	177	554	—यथोपरि—	4500
4	27.10.11	177	555	—यथोपरि—	4500
5	27.10.11	177	557	—यथोपरि—	4500
6	10.9.12	296	488	मै• अम्बे ऑटोमोबाइलज़ धनोटू से टाटा सूमो प्रशिक्षण वाहन की डैंटिंग पेंटिंग व अन्य मुरम्मत	32945
7	15.2.14	073	——	यू बी ऑफसैट प्रिन्टर्ज़ से पुस्तकालय हेतु लेखन सामग्री	97125
8	15.12.14	073	——	खरबन्दा जनरल स्टोर सुन्दरनगर से एक ही दिन दिनांक 27.1.14 को तीन बिलों 1989, 1991 तथा 1992 से क्रमशः रु4835, 4850 तथा 3050 के मूल्य की कार्यालय उपयोग हेतु लेखन सामग्री	12735
9	20.2.14	076	——	खरबन्दा जनरल स्टोर सुन्दरनगर से दिनांक 14.8.13, 16.8.13, 18.11.13 को तीन बिल 1614, 1615, तथा 1797 से क्रमशः रु4950, 4900 तथा 3335 के मूल्य की कार्यालय उपयोग हेतु खरीदी गई लेखन सामग्री का भुगतान	13185
10	30.6.15	092	——	वार्शिक महोत्सव में चायपान का व्यय	29170
11	30.6.15	092	——	नये छात्रावास के मैस में एल पी जी गैस पाइपलाइन लगाने का व्यय का विश्वकर्मा साइकल वर्क्स सुन्दरनगर को भुगतान (11200+4830+3845+4065)	23940
12	30.6.15	92	——	क्रीड़ा प्रतियोगिता हेतु फूलों के हार व गुलदस्ते	5600
				कुल योगः	**237200**

36 नियमों में प्रावधित औपचारिकताओं से बचने हेतु खरीद को कई छोटे हिस्सों में बांटकर (Splitting up of purchase to avoid codal formalities) किया गया ₹1.00 लाख का अनियमित व्ययः—

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर की छात्र निधियों के अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि बहुतायत प्रकरणों में मात्र नियमों में

प्रावधित प्रक्रिया एवं औपचारिकताओं से बचने हेतु ही एक ही उद्देश्य हेतु आवश्यक सामग्री की खरीद आपूर्तीकर्ता के कई छोटे–छोटे बिलों में बांटकर ₹1,00,027 का अनियमित भुगतान किया गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर मितव्यता सम्बन्धी जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा अपनी स्टोर/स्टॉक खरीद सम्बन्धी आवश्यकताओं का आकलन कम से कम त्रैमासिक आधार पर करके एक ही बार सम्पूर्ण औपचारिकताओं के पश्चात बाजार प्रतियोगिता का पूर्ण लाभ उठाते हुए की जाएगी। यही नहीं बहुतकनीकी संस्थान के कुछ प्रकरणों में जहां व्यय स्वीकृति निदेशक तकनीकी शिक्षा से ली गई थी उनमें भी निदेशक द्वारा खरीद सम्पूर्ण औपचारिकताओं के पश्चात ही करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसा ही एक उदाहरण शैक्षणिक सत्र 2008–09 में प्रवेश हेतु छात्रों की काउंसलिंग सम्बन्धी ₹32,324 के व्यय की निदेशक, तकनीकी शिक्षा के कार्यालय पत्र संख्या एस टी वी(टी ई)एच जी(2)1/08–30650 दिनांक 19–09–2008 द्वारा दी गई व्यय स्वीकृति का है जिसमें खरीद सम्बन्धी सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु संस्थान द्वारा इस प्रकरण तथा इसके जैसे ही अन्य प्रकरणों में इन समस्त सरकारी तथा निदेशक के निर्देशों की अवहेलना करते हुए एक ही खरीद को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हुए खरीद की गई है। नमूना अंकेक्षण जांच में पाए गए ऐसे कुछ प्रकरणों को निम्न तालिका में संकलित किया गया हैः–

क्र	दिनांक	रो0व0 पृष्ठ	वाउचर	विवरण	राशि (₹)
1	06.10.08	175	598 से 614	2008–09 की प्रवेश काउंसलिंग में 32 कर्मचारियों का दिनांक 26.06.2008 से 05.08.2008 तक के दौरान 17 दिनों में ₹50 प्रति व्यक्ति की दर से दोपहर के भोजन का बृज स्वीटस सुन्दरनगर को किया गया 522 भोजन का भुगतान	26100
2	06.10.08	175 –176	615 से 631	2008–09 की प्रवेश काउंसलिंग में 32 कर्मचारियों का दिनांक 26.06.2008 से 05.08.2008 तक के दौरान 17 दिनों में चायपान का ठाकुर टी स्टॉल सुन्दरनगर को किया गया भुगतान	6224
3	20.10.08	177	646 से 649	मै॰ स्पैक्ट्रम इन्स्टरुमैन्ट सुन्दरनगर से उनके बिल संख्या 5179, 5180, 5181,	3952

				5182 दिनांक 2.09.08 व 03.09.08 से रु 978+988+988+998=3952 की खेल सामग्री की खरीद	
4	25.10.08	178	650 से 656	ओम टैंट हाउस सुन्दरनगर से काउंसलिंग हेतु किराए पर लिए गए टैंट का किराया	5460
5	25.09.09	256	480 से 492	बिना निविदाओं/रेट कांट्रैक्ट के प्रिन्टर तथा फोटोकॉपियर के कारट्रिज़ व टोनर पर 13 वाउचरों से किया गया व्यय	35874
6	25.09.09	256	493 से 506	बिना निविदाओं/रेट कांट्रैक्ट के लेखन सामग्री पर 14 वाउचरों से किया गया व्यय	13878
7	22.10.11	175 व 176	540 से 545	छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता में मेहमानों तथा कार्यरत कर्मचारियों के चायपान पर 6 वाउचरों से किया गया व्यय (180+910+2989+860+3000+600)	8539
				कुल योगः	**<u>100027</u>**

अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस ₹1,00,027 के अनियमित व्यय को एकल निविदा आधारित खरीद के रूप में सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों/निर्देशों के अनुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 छात्र निधि से निष्पादित निर्माण कार्यों के लेखांकन तथा अभिलेख के अनुरक्षण में पाई गई विसंगतियांः—

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर के छात्र निधियों के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दस वर्षों के दौरान प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत निधि के आय–व्यय के आंकड़ों के अनुसार ₹1,15,81,586 की धनराशी संस्थान द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में व्यय की गई जो कि इस अवधि के दौरान निधि से किए गए कुल व्यय का 17ः से अधिक है।

क्र॰	वर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	निर्माण कार्यों पर व्यय राशी (₹)	निर्माण कार्यों पर व्यय की प्रतिशतता
1	2006.07	3043002	942477	30.97
2	2007.08	4847482	1955287	40.34

3	2008.09	4914364	1335028	27.17
4	2009.10	5233893	1332942	25.47
5	2010.11	5744983	576467	10.03
6	2011.12	9866745	241113	244
7	2012.13	7894985	128100	1.62
8	2013.14	5186776	0	0
9	2014.15	10603060	1593162	15.03
10	2015.16	8907393	3477010	39.04
	कुल योगः–	**66242683**	**11581586**	**17.48**

निर्माण कार्यों का निष्पादन एक तकनीकी प्रक्रिया है तथा इसका लेखांकन तथा अभिलेख का अनुरक्षण भी तदानुसार ही किया जाना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सर्वोच्च संस्था है इसलिए प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा भी इसके द्वारा प्रतिपादित नियम व निर्देश ही निर्माण कार्यों के व्यय के लेखांकन तथा अभिलेख के अनुरक्षण हेतु अपनाए जाते हैं। परन्तु राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर के निधि लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय का लेखांकन तथा नियमानुसार वांछित अभिलेख का अनुरक्षण उचित तरीके से नहीं किया गया है अथवा किया ही नहीं गया है। अंकेक्षण के दौरान वाउचर नस्तियों में पाए गए निष्पादित निर्माण कार्यों के वाउचरों में से तीन निम्नलिखित कार्य सन्दर्भ हेतु उद्धृत किए जा रहे हैंः–

- कम्पयूटर खण्ड के ऊपर एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण।
- संस्थान के सभागार के लिए रैम्प का निर्माण।
- प्रशासनिक भवन के साथ कार पर्किंग का निर्माण।

उपरोक्त निर्माण कार्यों के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. संस्थान द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन तो छात्र निधियों से किया गया है परन्तु इनसे सम्बन्धित टैंडर बिक्री आय को सरकारी कोषागार में सरकारी राजस्व के रूप में जमा करवाया गया है जो कि अनुचित है। चूंकि व्यय छात्र निधियों से किया गया था अतः टैंडर बिक्री राशी भी निधियों में ही जमा करवाई जानी अपेक्षित थी।
2. संस्थान द्वारा निष्पादित करवाए गए निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य रजिस्टर (Works Register) का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिससे कि किसी कार्य विशेष पर व्यय की गई कुल राशी का समेकित विवरण जान पाना मुश्किल है।
3. संस्थान द्वारा कांट्रैकटर लैजर का निर्माण भी नहीं किया गया है जिससे कि किसी कार्य विशेष पर संविदाकार को भुगतान की गई कुल राशी का समेकित विवरण जान पाना मुश्किल है।

4. संस्थान द्वारा टैंडर विजेता संविदाकार के साथ किसी भी प्रकार का अनुबन्ध (Agreement) जिसमें कार्य निष्पादन की विस्तृत शर्तें दी गई हों हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है। इस प्रकार के अनुबन्ध के अभाव में किसी भी संविदाकार को तय समयसीमा के भीतर नियमानुसार कार्य निष्पादन हेतु बाध्य किया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार अनुबन्ध के अभाव में संविदाकार के साथ कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की असहमती होने पर संस्थान के पास कानूनी सहायता लेने में भी दिक्कते आ सकती हैं।

5. बाजार मूल्यों के साथ विजेता संविदाकार के प्रस्तावित मूल्य की तुलनात्मक विवरणी (Justification of Rates) बनाकर इनके कम होने की पुष्टि नहीं की गई है।

6. संस्थान द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों के विरूद्ध रखी गई प्रतिभूती राशियों का संकलन करने हेतु प्रतिभूती रजिस्टर का निर्माण भी नहीं किया गया है। इसके अभाव में प्रतिभूतियों के लेखांकन, प्राप्ति तथा भुगतान पर प्रबन्धकीय नियन्त्रण रखा जाना भी असम्भव है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कई बार संविदाकारों द्वारा प्रतिभूती राशी के स्थान पर प्रधानाचार्य के नाम गिरवी करवाकर बैंक सावधि निवेश प्रमाणपत्र भी दिए गए हैं जिन्हें नियमानुसार संस्थान के रोकड़िए की सुरक्षा में रखा जाना चाहिए। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर इन प्रमाणपत्रों को वाउचर नस्तियों में ही लापरवाही के साथ रखा गया है।

7. संस्थान द्वारा निष्पादित करवाए गए निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की मापन पुस्तिका (Measurement Book) का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इसके स्थान पर बिलों के साथ एक कार्य मापन विवरणी तैयार करके लगाई गई है। इस कारण से जिन निर्माण कार्यों का भुगतान अलग अलग चलत बिलों में किया गया है उनमें अंकेक्षण के दौरान यह जाना पाना संभव नहीं हो पाया कि किस बिल में कितने कार्य निष्पादन का भुगतान किया गया है तथा न ही इन प्रकरणों में दोहरे मापन की सम्भावना को टाला जा सकता है।

8. इन निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में नियमानुसार किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री उपभोग विवरणी (Material Consumption Statement) को तैयार नहीं किया गया है।

9. संविदाकार द्वारा निर्माण में उपयोग की गई सामग्री पर किसी प्रकार की रॉयल्टी काटकर हिमाचल प्रदेश खनन विभाग के पास जमा नहीं करवाई गई है।

10. निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में विजेता संविदाकार को संस्थान द्वारा दिए जाने वाले कार्य आबंटन पत्र (Award Letter) की शर्त 6 के अनुसार कार्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। परन्तु इन आबंटन पत्रों में कहीं पर भी इस प्रकार के निर्धारित समय (StipulatedTime Period) का वर्णन नहीं किया गया है। इस कारण से कुछ कार्य, जैसे कि कम्पयूटर खण्ड पर अतिरिक्त मंजिल का निर्माण, ठेकेदारों द्वारा कई कई वर्षों का समय लेकर पूरे किए गए हैं। संस्थान द्वारा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय के छात्र निधियों के कुल व्यय का लगभग पांचवां भाग होने के बावजूद भी इसके अभिलेख के अनुरक्षण तथा

लेखांकन में इस प्रकार की लापरवाही किया जाना एक अति गम्भीर विषय है। उपरोक्त विसंगतियों तथा सन्दर्भित अभिलेख के अभाव में इन निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय की अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जांच नहीं की जा सकी है। अतः उपरोक्त त्रुटियों के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करके तथा वांछित अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

38 टाटा सूमो गाड़ी की मुरम्मत पर किए गए व्यय में अनियमितताएंः–

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर की रोकड़ बही के पृष्ठ 296 पर वाउचर संख्या 488 दिनांक 10.09.2012 द्वारा संस्थान के प्रशिक्षण वाहन टाटा सूमो की डैंटिंग, पेंटिंग व मुरम्मत का व्यय ₹32,945 दर्ज किया गया है जिसका भुगतान अम्बे ऑटोमोबाइलज़ धनोटू को किया गया था। इस व्यय हेतु व्यय स्वीकृति निदेशक तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या एस टी वी(टी ई)एच एफ(4)4/2009–सुन्दरनगर(एस डबल्यू एफ)32603 दिनांक 20.07.2012 द्वारा ली गई है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस व्यय को करते समय नियमों में प्रावधित समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया जाए। परन्तु व्यय वाउचर की जांच में पाया गया कि इस व्यय को करते समय नियमानुसार किसी भी औपचारिकता को पूरा नहीं किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

- मुरम्मत व्यय की मात्रा ₹3000 से अधिक होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के प्रावधानों की अनुपालना में किसी प्रकार की निविदाएं एकत्र नहीं की गई हैं।
- मुरम्मत करने वाली कार्यशाला/दुकान ने मुरम्मत हेतु ₹32,945 का समेकित बिल दिया है जिसमें मुरम्मत का कोई विवरण जैसे गाड़ी में खराबी का प्रकार/कारण, बदले गए पुर्जे, मुरम्मत का मेहनताना, लगाए गए टैक्स इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- संस्थान के पास अपना वाहन मैकेनिकल विभाग तथा वाहन कार्यशाला होने के बावजूद भी मुरम्मत के बाद मिस्त्री द्वारा की गई मुरम्मत के सम्पूर्ण व सन्तोषजनक होने सम्बन्धी किसी भी प्रकार का प्रमाणपत्र किसी तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी/चालक द्वारा नहीं दिया गया है। उपरोक्त त्रुटियों के कारण यह व्यय अनियमित तथा संशयपूर्ण प्रतीत होता है अतः इस प्रकरण की सम्पूर्ण विभागीय जांच उपरान्त इस अनियमितता के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस व्यय को एकल निविदा आधारित खरीद के रूप में सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

39 छात्र निधियों से संस्थान के वाहनों पर किए गए व्यय तथा वांछित अभिलेख के रखरखाव में अनियमितताओं के बारे में:–

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन निधियों से किए जाने वाले कुल मासिक व्यय में एक बड़ा भाग संस्थान के वाहनों पर किए गए व्यय का है। उदाहरण के लिए अवधि 04/2012 से 02/2013 तक के रोकड़ बही में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पाया गया कि प्रतिमाह आहरित अग्रिमों में औसतन एक तिहाई से अधिक भाग वाहन ईंधन हेतु आहरित अग्रिमों का है। अंकेक्षणावधि के दौरान छात्र निधियों से किए गए कुल भुगतान का पूर्ण विवरण अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–195 दिनांकः 29/09/2016 द्वारा मांगा गया था जो कि अंकेक्षण की समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाया गया था जिस कारण से इस मद की विस्तृत जांच नहीं की जा सकी है। तथापि वाउचर नस्तियों में उपलब्ध व्यय वाउचरों के आधार पर संस्थान द्वारा वाहनों पर छात्र निधियों से किए गए व्यय तथा नियमानुसार वांछित अभिलेख जैसे लॉग बुको, रखरखाव रजिस्टर आदि के रखरखाव में निम्नलिखित त्रुटियां/अनियमितताएं पाई गई हैं:–

- वाहनो की मुरम्मत पर किए जाने वाले व्यय की मात्रा ₹3000 से अधिक होने पर भी नियमानुसार निविदाएं एकत्र नहीं की जाती हैं।
- मुरम्मत के बाद इसके सन्तोषजनक होने के बारे में किसी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है।
- लॉगबुकों में प्रतिमाह औसत ईंधन खपत का ब्यौरा तैयार नहीं किया जाता है।
- वाहनों के सन्दर्भ में नियमानुसार वार्षिक आधार पर मानक ईंधन खपत (Standarad Fuel Consumption) निर्धारित नहीं करवाई गई है।
- वाहन रखरखाव रजिस्टर में किए गए व्यय का प्रगतिशील योग (Progressive Total) नहीं लगाया गया है जिससे किए गए कुल व्यय का अद्ययतन योग (Up To Date Total) उपलब्ध हो सके।

अतः उपरोक्त त्रुटियों के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करके तथा वांछित अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

40 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वर्ष 2012–13 के पश्चात वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि•प्र• वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण के दौरान वाउचिंग करने में भी दिक्कतें

आई हैं। अतः इस बारे तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

41 व्यय वाउचरों का अनियमित तरीके से तथा अधूरा रखरखाव किये जाने बारेः–

छात्र निधियों की व्यय वाउचर नस्तियों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इनका रखरखाव अनियमित तथा अधूरे तरीके से किया जा रहा है। रोकड़िए के पास उपलब्ध वाउचरों में मात्र आपूर्तीकर्ता का बिल तथा सक्षम अधिकारी की व्यय स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं थ। भुगतान की गई सामग्री की मांग किसके द्वारा किस उद्देश्य से की गई थी, उस समय वह वस्तु भण्डार में उपलब्ध थी अथवा नहीं, खरीद के लिए निविदाएं/टैंडर लिए गए अथवा नहीं इत्यादी से सम्बन्धित कोई अभिलेख भुगतान वाउचर के साथ उपलग्ध नहीं था और न ही इसके किसी अन्य नस्ति में होने के बारे में सन्दर्भित किया गया था। अंकेक्षण हेतु चयनित माह के वाउचरों से सम्बन्धित उपरोक्त अभिलेख में से कुछ तो स्टोरकीपर द्वारा अपनी नस्तियों में से अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया परन्तु उसके पास भी सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार के महत्वपूर्ण अभिलेख को इस प्रकार से अलग अलग कर्मचारियों के पास रखा जाना तथा समय पर उसका उपलब्ध न होना प्रबन्धन की कमी को दर्शाता है। अतः इस बारे तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

42 मांग एवं प्राप्ती रजिस्टर को न बनाया जानाः–

संस्थान को छात्रों से प्राप्त होने वाली छात्र निधियों की आय तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि इस आय को नियन्त्रित करने तथा उसकी सम्पूर्ण वसूली पर नज़र रखने हेतु किसी प्रकार का मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। वर्तमान में छात्रों से प्राप्त की गई समस्त निधि राशियों को मात्र रोकड़ बही में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा अभिलेख संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी वर्ष के दौरान छात्रों द्वारा द्वारा कितनी निधि राशि देय थी तथा उसमें से कितनी वसूल की गई है। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर में मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का अभिलेखन और भी आवश्यक हों जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना बहुतकनीकी संस्थान होने तथा अधिकतम छात्र संख्या के कारण प्रतिवर्ष छात्र निधियों में एक करोड़ रूपये से भी अधिक प्राप्तियां होती हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी वसूली पर नियन्त्रण हेतु संस्थान द्वारा एक तकनीकी संस्थान होने के बावजूद भी कोई स्थाई तथा भरोसेमन्द तन्त्र तथा अभिलेखन पद्धति तैयार नहीं की गई है। इस प्रकार के अभिलेख के अभाव में अंकेक्षण के दौरान निधियों की सम्पूर्ण प्राप्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी है। अतः इस अति महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किए जाने के बारे में

वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अभिलेख का नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

43 क्रय की गई सामग्री/भण्डार का लेखांकन एक ही स्टॉक रजिस्टर में करने बारेः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) भण्डार के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। परन्तु राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर में निधियों से खरीदे गए समस्त सामान का इन्द्राज़ एक ही स्टॉक रजिस्टर में निरन्तर क्रम से दिनांकवार किया जाता है जो कि अनुचित है। इसी प्रकार से बालक व कन्या दोनों ही छात्रावासों के स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज सामग्री की खरीद का विवरण जैसे विक्रेता, खरीद मूल्य, दिनांक आादि को दर्ज नहीं किया गया है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके सही तरीके से भण्डार का लेखांकन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

44 भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन बारेः–

हि• प्र• वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 व 141 के अनुसार भण्डार का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान एक बार भी निधियों से खरीदे गए भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

45 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

46 **निष्कर्षः–** लेखाओं का रख रखाव में पेशेवर तथा प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का सम्पूर्ण अभाव पाया गया है इनमें बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अधिकतर वित्तीय नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों तथा दिशानिर्देशों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं

की जा रही है। यह गम्भीर त्रुटि संस्थान के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(xi)1/76–खण्ड–4–2472–2473 दिनाँकः05–03–2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर हि0प्र0

पंजीकृत 2 प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046